न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 142/09 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:---- प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 छुटटन पुत्र बिहारी लाल

2 दुलीचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति बावरिया निवासीयान ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:--- वादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 29.5.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विनोद यादव (राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0 :– उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 9.10.2009

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 332/2008 अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.5.09 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी रेस्पो0 का उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 61

9.10.09

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

एयर वाके ग्राम टोहरी वादीगण के पिता बिहारीलाल को राज्य सरकार से आवंटित की गई थी । जिस पर वक्त आवंटन से वादीगण का पिता बहैसियत पटटेदार गैर खातेदार काबिज था । राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है । उनके बाद वादीगण काबिज चले आ रहे हैं । विवादित आराजी पर वादीगण व उनके पिता का करीब 36 साल से भी ज्यादा समय से कब्जा चला आ रहा है । इसलिये वादीगण को खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया है,जिसके खिलाफ प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3 राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान वकील अपीलांट (राजकीय अभिभाषक) ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि राज्य सरकार की ओर से अपील प्रस्तुत करने के लिए लम्बी निर्धारित प्रकिया को अपनाना पडता है । जिसमें लीगल अधिकारी से राय मांगी जाती है तथा मार्गदर्शन हेतु पत्रावली भेजी जाती है तथा अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति लेनी होती । तत्पश्चात प्रकरण की पैरवी हेतु सक्षम अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जाता है । इस कारण विलम्ब हुआ है । विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न है । अतः देरी को कण्डोन किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे ।

4 प्रकरण की मेरिटस पर विद्वान वकील अपीलांट (राजकीय अभिभाषक) ने बहस में अभिकथन किया है कि विवादित आराजी सरकारी कस्टोडियन है । इस आराजी का कोई आवंटन नहीं किया गया था । एक साल की मियाद के लिए काश्त हेतु अन्य आराजी के साथ साथ आराजी खसरा नम्बर 461 मिन ग्राम वासियान छुटमल पुत्र रूडा, प्रभाती वल्द हरदेव वगैरा हरिजन को दिनांक 10.7.52 को पटटे पर दी गई थी । सम्वत 2012 में भी खाता संख्या 54 पर बम्बू प्रभाती बिहारी बन्दू वगैरा पटटेदारान गैर मौरूसी साल एक की प्रविष्टि से स्पष्ट होता है कि तत्समय कस्टोडियन भूमि के ही पटटे कीमतन पटटेदारान को दिये गये थे तथा कीमत जमा होने के बाद ही सनद पटटे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते थे । जमाबन्दी सम्वत 2016, 2020 व बंदोबस्त सम्वत 2029 में भी सरकार कस्टोडियन के तहत बिहारी पुत्र नानगा कौम बावरिया साकिन देह पटटेदार अंकित है । विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि है, जिस पर कीमत जमा करवाकर आवंटन करके खातेदारी

9.10.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

दी जाती है । टिनेंसी एक्ट के तहत किसी प्रकार के अधिकार कस्टोडियन भूमियों पर नहीं दिये जा सकते । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और प्रतिवादी सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब को आधार न मानकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं अपीलांट की बहस तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा देरी को कण्डोन करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील के तथ्यों तथा तहत अदालत के आदेश दिनांक 29.5.2009 का अवलोकन किया गया । तहत अदालत द्वारा वादी/रेस्पो0 को विवादित आराजी का पटटेदार लम्बे समय से रिकार्ड में दर्ज होने पर निर्णय 29.5.2009 द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित किया है ।

7 अपीलांट तहसीलदार किशनगढबास ने अपनी अपील में कहा है कि तहत अदालत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया है । उनके जवाब को आधार नहीं बनाया है । विवादित आराजी को अपीलांट कस्टोडियन आराजी होना बता रहे हैं तथा कथन है कि कस्टोडियन आराजी का कस्टोडियन नियमों व प्रावधानों के तहत कीमतन आवंटन उपरान्त खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं । यह भी कथन है कि कस्टोडियन आराजी के सम्बन्ध में राजस्व अदालत में वाद नहीं चलाया जा सकता है । तथा कस्टोडियन आराजी के लिए मैनेजिंग ऑफिसर को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है ।

8 अपीलांट ने इस अपीलीय न्यायालय में साबिक रिकार्ड प्रस्तुत किया है तथा विवादित आराजी का कबूलियत बाबत काश्त आराजीयात ग्राम टोहरी, बुक नम्बर 84 की प्रति प्रस्तुत की है । जिसमें साबिक खसरा नम्बरान तथा पटटेदारों का हवाला है । अपीलांट का कथन है कि इस आधार पर यह जमीन कस्टोडियन है । अतः तहत अदालत का फैसला विधि विरूद्ध है जो काबिल निरस्ती है ।

9.10.19

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan http://

9 हमने पत्रावली तथा रिकार्ड का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा तहत अदालत में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया और अपीलीय न्यायालय में रिकार्ड प्रस्तुत किया है । प्रथम दृष्टतया रिकार्ड का अवलोकन किया जाना जरूरी है । तहत अदालत ने पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर यह तय नहीं किया कि आया विवादित आराजी कस्टोडियन है या नहीं । तथा ना ही निर्णय में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी वादी/रेस्पो0 के पास किस तरह से कहां से आई है । किन नियमों के तहत खातेदारी अधिकार वादी को प्राप्त होते हैं । यह निर्णय में अंकित नहीं है ।

10 पैरोकार सरकार द्वारा अपील में जो दस्तावेज साबिक प्रस्तुत किये हैं, उनका विवादित आराजी के कस्टोडियन होने या नहीं होने के सम्बन्ध में अवलोकन किया जाना आवश्यक है ।

11 चूंकि वादी/रेस्पो0 इस अपील में अनुपस्थित है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 29.5.2009 निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को पुनः तलब करके साबिक व हाल रिकार्ड प्रस्तुत करने का अवसर देने के साथ निम्न बिन्दुओं पर गौर करते हुये, तथा जहां कोई अन्य आवश्यक पक्षकार है तो उन्हें पक्षकार बनाया जाकर पुनः निर्णय पारित करें :-

(1) आया विवादित आराजी कस्टोडियन है या नहीं

(2) विवादित आराजी में वादीगण किस हैसियत से पटटेदार/खातेदार दर्ज रिकार्ड है ।

(3) वादी किन नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

12 उपरोक्त बिन्दुओं का साबिक रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर विवेचन करते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

13 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.10.19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner